न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल, ग्वालियर कैम्प, उज्जैन. (म.प्र.)

प्रकरण क्रमॉक– A 3867- II/13

जिला शाजापुर

मैसर्स राधाकृष्ण इन्टरप्राईज
द्वारा प्रोपराईटर लाल सिंह चौधरी (मृत)
वारिसानगण–
श्रीमती बिरमती देवी पत्नी लाल सिंह
राजेश्वर सिंह पिता लाल सिंह चौधरी
राजेश कुमार पिता लाल सिंह चौधरी
दिनेश सिंह पिता लाल सिंह चौधरी
समस्त निवासीगण ग्राम परवलिया सडक,
तहसील हुजूर जिला भोपाल......अपीलांटगण

विरूद्ध

मध्य प्रदेश शासन ....रेस्पाडेंट

360
9/9/2013

न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त महोदय, उज्जैन संभाग, उज्जैन के प्रथम अपील प्रकरण क्रमॉक 638/अपील 2011–12 में पारित आदेश दिनॉक 25.7.2013 से असंतुष्ट एवं दुःखीत होकर उक्त अपील मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 44(2) के अन्तर्गत प्रस्तुत हैं।

मान्नीय महोदय,

प्रार्थी अपीलांट की ओर से अपील मेमो निम्नलिखित प्रस्तुत हैं कि :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

यह कि, दिनॉक 30–31 जनवरी 2012 की दरम्यानी रात श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय, श्रीमान् तहसीलदार महोदय एवं पटवारी दल द्वारा ग्राम मण्डल खॉ के सर्वे 37/17 रकबा 10 हैक्टर जो कि, रेशम केन्द्र के नाम से शासकीय अभिलेख में दर्ज हैं उक्त सर्वे नं. की भूमि पर अवैध उत्खनन किया जा रहा था। अनुविभगीय अधिकारी महोदय एवं दल के द्वारा छापेमार कार्यवाही कर मौके से 13 ट्रेक्टर ट्राली एवं जेसीबी मशीन जप्त कर एस.डी.ओ.पी. पुलिस को सुपूर्द की गई। जॉच दल ने पाया कि, अवैध रूप से शासकीय भूमि पर अवैध खनन किया जा रहा था। पकडे गए ट्रेक्टर ट्राली चालको के पास से उत्खनन रायल्टी रसीद वाहन संबंधी कागज प्राप्त नहीं हुए, किसी भी वाहन का नंबर बरवक्त पंचनामे पर नहीं हैं। पंचनामें पर खनिज निरीक्षक, सरपंच, पटवारी, कोतवाल गवाहों के हस्ताक्षर हैं।

यह कि, उक्त कार्यवाही के पश्चात् कलेक्टर महोदय खनिज शाखा शुजालपुर को अवैध खनन के संदर्भ में सूचना दी गई के अनुसार अपीलांट को कारण बताओं सूचना पत्र प्रेषित किया गया जिसका जवाब दिनॉक 14.3.2012 को

निरंतर............... 2 पर

XXXIX(a)BR(H)-11

(36)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक – अपील 3867–एक/13

जिला – शाजापुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेष	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26/8/17	प्रकरण का अवलोकन किया एवं अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता के बिंदु पर दिए गए तर्को पर विचार किया एवं आलोच्य आदेश का अवलोकन किया । यह प्रकरण शासकीय जमीन से मुरम का उत्खनन किए जाने के संबंध में है । अपर आयुक्त ने अपनेआदेश में स्पष्ट किया है कि आवेदक ने शासकीय जमीन से मुरम खोदना आंशिक रूप से स्वीकार किया है और 1,04,220/– रूपये जमा कराए गए हैं साथ ही एक लाख रूपये जनभागीदारी से भी जमा कराया गया है । उक्त आधारें पर अपर आयुक्त ने अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में कोई विधिक एवं प्रकिया की त्रुटि न पाते हुए अपीलांट की अपील को निरस्त किया गया है । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए उनके आदेश में प्रथमदृष्टया कोई विधिक या सारवान त्रुटि प्रतीत नहीं होती है । परिणामतः यह अपील अग्राह्य की जाती है । आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जाये । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । प्रशा0 सदस्य	